भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2139
(दिनांक 12.03.2025 को उत्तर के लिए)

रिक्तियों का भरा जाना

2139. डॉ. मल्लू रविः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार के पिछले पांच वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की वर्षवार संख्या कितनी है;
(ख) क्या इन रिक्तियों को विज्ञापित किया गया है और उन्हें फिर से भरा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं;
(ग)क्या सरकार इन पदों को न भरकर या आंशिक रूप से भरकर किसी लागत-बचत मानदंड का पालन करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या इस नीति से विद्यमान कर्मचारियों पर बोझ बढ़ रहा है और सरकार के विभागों में काम की गति प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ.जितेन्द्र सिंह)

(क) एवं (ख): गत पाँच वर्षों के संबंध में केन्द्र सरकार के उन सिविल कर्मचारियों (अर्थात् रक्षा, रेलवे, डाक और दूरसंचार के कर्मचारियों को छोड़कर) की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है, जिनकी पेंशन, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा प्राधिकृत की गई है:

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या
2020	38,884
2021	45,416
2022	54,363
2023	50,423
2024	52,588

नियुक्ति और सेवानिवृत्ति से संबंधित डेटा का रख-रखाव करना, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है।

केन्द्र सरकार में पदों का भरा जाना, एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की आवश्यकताओं के आधार पर रिक्तियों को विज्ञापित किया जाता है और भर्ती की जाती है।

(ग) एवं (घ): प्रश्न नहीं उठता।

******